S-102

प्र.पी.-294

कथन
(धारा 161 द0प्र0सं0)

थाना–ईओडब्ल्यू, रायपुर
अपराध क्रमांक–09/15

जिला–रायपुर।
धारा–धारा–109, 120(बी),420 भा.द.वि., 13(1) (डी)
सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988

डॉ0 आनंद दुबे पिता स्व0 डॉ0 एम0एम0 दुबे आयु 56 साल निवासी–शंकर नगर मेन रोड विद्या हॉस्पिटल रायपुर मो0नं0 9827197924 लैण्ड लाईन नंबर–0771–4055895 एवं 2426090

—00—

पूछने पर बताया कि मेरा शंकर नगर स्थित विद्या हॉस्पिटल में क्लिीनिक है। पूछनें पर बताया कि वह डॉ0 आलोक शुक्ला को सन् 1977 से जानता एवं पहचानता है क्योंकि डॉ0 शुक्ला मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़े हुये है। पूछने पर बताया कि डॉ. शुक्ला का मेरे घर परिवार में आना–जाना है। नागरिक आपूर्ति निगम प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा के पी0ए0 गिरीश शर्मा के संबंध मे पूछताछ करनें पर बताया कि मैं गिरीश शर्मा को जानता हूँ, क्योंकि डॉ. आलोक शुक्ला ने एक बार गिरीश से मेरा परिचय कराया था। पूछने पर बताया कि डॉ. आलोक शुक्ला के कहने पर गिरीश शर्मा मेरे पास डॉ. आलोक शुक्ला के हिस्से की राशि छोड़ने के लिए अक्सर आता था और रकम छोड़ने के पहले गिरीश शर्मा मुझसे टेलीफोन पर बात किया करता था। नगद रकम की यह राशि कभी 10 लाख, 09 लाख और कभी 08 लाख की हुआ करती थी। यह राशि आलोक शुक्ला के चाहने पर मेरे पास सुरक्षित रखी जाती थी। यह राशि वैध अथवा अवैध थी इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है और न ही इस संबंध में डॉ. आलोक शुक्ला तथा गिरीश शर्मा ने मुझे कुछ बताया था। दिनांक 11.02.2015 को डॉ. आलोक शुक्ला 10 लाख नगद रकम दिल्ली भिजवाना चाहते थे, जो गिरीश शर्मा मुझे लाकर देने वाला था। इस संबंध में गिरीश शर्मा एवं डॉ. आलोक शुक्ला ने मुझसे फोन पर बातचीत भी की थी। चूंकि वह राशि दिल्ली भिजवाई जानी थी। इसलिए मैंने कुछ लोगों से संपर्क किया था। दिनांक 12.02.2015 को ही डॉ. आलोक शुक्ला ने मुझे दोपहर को फोन से बताया था कि नागरिक आपूर्ति निगम में रेड हो गई है तब मैंने उन्हें डोन्ट वरी कहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि रेड की व्यवस्था के कारण शायद जो पैसा दिल्ली पहुंचाने के लिए कहा था, वह नहीं भिजवा पा रहे थे। बाद में उन्होंने 05 लाख रूपये दिल्ली भिजवाने की बात कही थी।

पूछने पर बताया कि गिरीश शर्मा के डॉ. आलोक शुक्ला के क्या संबंध हैं इसकी स्पष्ट जानकारी मुझे नहीं है। मेरी समझ में गिरीश शर्मा डॉ. आलोक शुक्ला के विभाग में ही कार्य करता है।

पूछने पर बताया कि डॉ. आलोक शुक्ला का मेरे से पारिवारिक संबंध होने के कारण मैंने गिरीश शर्मा से प्राप्त नगद रकम का कोई हिसाब किताब डायरी अथवा किसी कागज में नहीं रखा था। हालांकि गिरीश शर्मा ने मुझे बताया था कि वह जो भी पैसा देता है,

उसका हिसाब किताब रखता है। पूछने पर बताया कि मुझे गिरीश शर्मा के द्वारा डॉ. आलोक शुक्ला को देने के लिए जो नगद रकम प्राप्त होती थी, उसके एवज में मुझे कोई राशि या हिस्सा नहीं दिया गया और न ही इस संबंध में डॉ. शुक्ला से कोई बातचीत हुई। पूछने पर बताया कि मैं डॉ. आलोक शुक्ला एवं गिरीश शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत किया करता था। टेलीफोन की रिकार्डिंग सुनकर मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि, टेलीफोन पर वार्तालाप मेरे एवं डॉ. आलोक शुक्ला व गिरीश शर्मा से हुई है तथा दोनों की आवाजों का होना बताया।

पूछने पर बताया कि डॉ. आलोक शुक्ला ने बताया था कि गिरीश शर्मा जब कभी नगद रकम लेकर मेरे पास आयेगा तो वह नगद रकम रख लेना। डॉ. आलोक शुक्ला ने यह भी बताया था कि यह नगद रकम वह आकर ले जाएंगे अथवा मंगा लिया करेंगे।

पूछने पर बताया कि गिरीश शर्मा उक्त रकम क्यूं लाकर देता था इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

पूछने पर बताया कि मैंने अपने पास कभी कोई कागज या डायरी में इस रकम के लेनदेन के विषय में कोई जानकारी दर्ज नहीं की थी।

ROAG before me

20/04/15

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक
ई.ओ.डब्ल्यू. रायपुर, छ.ग.